No.32-21-2009/MAG/2019-20/1126
Office of the Collector & District Magistrate,
Collectorate, Diu.
Dated:- 22/10/2019

ORDER

WHEREAS, reports have been received that due to the situation prevailing in the area of the following Police Stations/Outposts, it is apprehended that terrorist/anti-social elements may seek hideouts in the area of the said Police Stations/Outposts and there is every likelihood of breach of peace and disturbance of public tranquility and also there is grave danger to human life and safety and injury to public property on that accounts:-

Sr.No.	NAME OF THE POLICE STATION	NAME OF THE OUTPOSTS
1.	DIU POLICE STATION	BUCHARWADA VANAKBARA NAGOA.
2.	COASTAL POLICE STATION	VANAKBARA
2.	COASTAL POLICE DETACHMENT	GHOGHLA VILLAGE

AND WHEREAS, it is imperative to ensure safety that no hotel/paying guest house/lodging house/etc is run without proper permission from competent authorities including licence from Tourism Department, Diu;

AND WHEREAS, it is necessary that some checks should be put on Landlord/Hotel/Guest House/Lodge/Chawl Owners so that terrorist/anti-social element in the guise of tenants/visitors/guests may not cause explosions, riots, shoot outs, affray, etc. and that immediate action is necessary for the prevention of the same;

NOW, THEREFORE, I, SALONI RAI, District Magistrate, Diu in exercise of the powers conferred upon me by Section 144 of Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), do hereby order that no landlord/Hotel/Guest House/Lodge or resort Owners shall let/sublet/rent out any accommodation without proper permissions from competent authorities including licence from Tourism Department, Diu to any person unless and until he has obtained the copy of any reasonable document of identity proof (like Adhaar card, Election I.D. Card, PAN Card, Driving licence, Passport Credit Card or Debit Card and any other reasonable proof of identity with photo) of the said tenants/visitors/guests which falls under the jurisdiction of the area of the Police Stations/Outposts as specified above in this order and unless and until he has furnished the particulars of the said tenants/visitors/guests to the In-charge of the Police Station/Outposts concerned. All persons who intend to take accommodation on rent shall inform in writing in this regard to In-charge Police Station/Outpost concerned in jurisdiction the premises fall;

The person dealing in the property business shall also inform in writing to the In-Charge Police/Station concerned in whose jurisdiction the premises falls about the particulars of the said tenants.

This Order shall come into force with immediate effect and shall be effective for a period of 60 days with effect from **15/10/2019 to 13/10/2019** (both days inclusive) unless withdrawn earlier.

Any person contravening this Order shall be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code.

As the Notice cannot be served individually on all concerned, the Order is hereby passed ex-parte. It shall be published for the information of public through Press and by affixing copies on the notice board of the offices of all U.T. Administration Offices of Diu including the office of the IG(P)DD & DNH. SDPO, Diu, all Police Stations/Outposts/SFO concerned and the offices of the Municipal Council and District Panchayat of Diu.

(SALONI RAI)IAS
DISTRICT MAGISTRATE, DIU.
PTO

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1- The PS. to Hon. Administrator, Secretariat, Daman.
2- The S.S. (Home/D.S.(Home), Secretariat, Daman.
3- All Secretaries, U.T. of Daman & Diu stationed at Daman.
4- The IG(P), Daman & Diu, Daman.
5- The Sub-Divisional Magistrate, Diu.
6- The S.D.P.O.,...with 2 spare copies for publishing in the local Press/cable T.V.
7- President, DMC, Diu... with 2 spare copies for pasting in the Notice Board
8- President, District Panchayat, Diu....With 02 spare copies for pasting on the Notice Board.
9- Station Fire Officer, Diu.
10- C.J.M, Diu...... for pasting one copy of the order on their Notice Board.
11- The Assistant Director of Tourism, Diu.... With 10 spare copies of the Orders to display prominently at all tourist places in the form of bilingual sign boards . If more copies requires, the same may please be got by cyclostyles/Xerox copies.
12- The Mamlatdar, Diu ....with 02 spare copies for pasting on the Notice Board
13- The Asstt. Director & PRO Media.
14- The Diu Press.
15- All Head of Offices stationed at Diu
16- The NIC, Collectorate, Diu....with a request to upload the same on the web page.

संख्या.32-21-2009/मजि/2019-20/1126
समाहर्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय,
समाहर्तालय, दीव
दिनांक 22/10/2019

आ दे श

जबकि रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि निम्नलिखित पुलिस स्टेशनों / चौकियों के क्षेत्र में प्रचलित स्थिति के कारण, यह आशंका है कि आतंकवादी / असामाजिक तत्व उक्त पुलिस स्टेशनों / चौकियों के क्षेत्र में ठहरने के ठिकाने की तलाश कर सकते हैं और इससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द में उल्लंघन और मानव जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होने की संभावना है और उस कारण सार्वजनिक संपति के नुकसान का खतरा है।

क्रम संख्या	पुलिस स्टेशन का नाम	पलिस चौकियो का नाम
1.	दीव पुलिस स्टेशन	बुचरवाडा, वणाकबारा, नागवा
2.	कोस्टल पुलिस स्टेशन	वणाकबारा
3.	कोस्टल पुलिस दस्ता	घोघला गाँव

और जबकि सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी होटल / पेइंग गेस्ट हाउस / लॉजिंग हाउस आदि सक्षम अधिकारियों से उचित अनुमति के बिना एवं पर्यटन विभाग से लाइसेंस लिये बिना नहीं चलाया जाना चाहिए ।

और जबकि यह आवश्यक है कि मकान मालिक / होटल / गेस्ट हाउस / लॉज / चॉल मालिकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं, ताकि किरायेदारों / आगंतुकों / मेहमानों / मेहमानों की आड़ में आतंकवादी / असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगे, बाहरी गोलीबारी, उपद्रव आदि न करें और उसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है ।

अब, इसलिए मैं सलोनी राय, जिला मजिस्ट्रेट, दीव को आपराधिक प्रक्रिया संहिता,1973 (वर्ष 1974 का 2) की धारा **144** द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में आदेश देती हूँ कि कोई भी मकान मालिक / होटल / गेस्ट हाउस / लॉज अथवा रिसॉर्ट के मालिक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना एवं पर्यटन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी भी व्यक्ति को किराये पर रहने नहीं देगा जब तक उसने पहचान संबन्धी प्रमाण (जैसे- आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड एवं फोटो सहित समुचित अन्य प्रमाणपत्र) उक्त किरायेदार से प्राप्त नहीं किया है तथा जब तक उन्होंने उक्त पहचान पत्र को ऊपर उल्लिखित संबन्धित पुलिस स्टेशन/चौकियों के प्रभारी को प्रदान नहीं किया हो । जो व्यक्ति किराये पर मकान लेना चाहता हो, वह उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन / चौकियों के प्रभारी को लिखित रूप से जानकारी देगा ।

संपति व्यवसाय करने वाला व्यक्ति संबन्धित क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन / चौकि के प्रभारी को लिखित रूप में सूचित करेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं दिनांक 15/10/2019 से 60 दिनों की अवधि तक या जब तक इसे वापस न लिया गया हो, तब तक लागू रहेगा ।

इस आदेश को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा ।

चूँकि यह आदेश व्यक्तिगत तौर पर सौंपा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे एकतरफा जारी किया जाता है । इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रेस के जरिए एवं संघ प्रदेश प्रशासन, दीव के कार्यालय सहित पुलिस महानिरीक्षक, दमण एवं दीव एवं दादरा नगर हवेली एवं उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, सभी पुलिस स्टेशनों / चौकियों / स्टेशन अग्निशमन कार्यालय तथा नगरपालिका परिषद एवं जिला पंचायत, दीव के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चिपकाकर जानकारी दी जाएगी ।

(सलोनी राय), भाप्रसे
जिला मजिस्ट्रेट, दीव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि : -

सेवा में,

01. माननीय प्रशासक का व्यक्तिक सचिव, सचिवालय, दमण ।
02. विशेष सचिव (गृह), सचिवालय, दमण ।
03. संघ प्रदेश दमण एवं दीव के दमण में स्थित सभी सरपंच ।
04. पुलिस महा निरीक्षक, दमण एवं दीव, दमण
05. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, दीव
06. उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी को स्थानीय प्रेस/केबल टेलीविजन में प्रसार के लिए 02 अतिरिक्त प्रतिलिपि ।
07. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, दीव को नोटिस बोर्ड में प्रदर्शन के लिए 02 अतिरिक्त प्रतिलिपि ।
08. अध्यक्ष, जिला पंचायत, दीव को नोटिस बोर्ड में प्रदर्शन के लिए 02 अतिरिक्त प्रतिलिपि ।
09. अग्निशमन अधिकारी, दीव ।
10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीव को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लि 01 प्रति ।
11. सहायक पर्यटन निदेशक, दीव को इसे सभी पर्यटन स्थलों में द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करने हेतु । अधिक प्रतिलिपियों की आवश्यकता होने पर इसे जेरोक्स किया जाए ।
12. मामलतदार, दीव को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए 02 प्रति ।
13. सहायक निदेशक एवं मीडिया के जन संपर्क अधिकारी ।
14. दीव प्रेस ।
15. दीव स्थित सभी कार्यालयाध्यक्ष ।
16. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान अधिकारी, समाहर्तालय, दीव को इसे वेब पृष्ठ में अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित ।